[Mr. Deputy Chairman]

The question is:

"That this House disapproves the Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020 (No.7 of 2020) .promulgated by the President of India on 24th April, 2020."

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Dr. Harsh Vardhan to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No.l) by Shri K.C. Venugopal. He is not present.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

***The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2020;**

And

***The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2020 is the next Bill that we are taking up. Shri G. Kishan Reddy to move a motion for consideration of the Bill.

---

* Discussed together.

12.00 Noon

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): माननीय उपसभापति महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव उपस्थित करता हूँ:-

"कि मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

मान्यवर, मैं अपनी बात brief में कहूँगा। विश्व के सभी देशों की तरह भारत में भी लोगों को कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण देश के लोगों की अवस्था और आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए और उस पर नियंत्रण के लिए immediate और quick राहत पहुँचाने तथा आपात सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से all angles पर प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी से शीघ्र राहत और सहायता इस बात के महत्व को दर्शाता है कि इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए कुछ घरेलू उपाय करना आवश्यक हो गया था। ऐसी स्थिति में, इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से अन्य कई उपायों के साथ-साथ सांसदों तथा मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती पर विचार किया गया है।

मंत्रिमंडल ने दिनांक 6.4.2020 को हुई अपनी बैठक में संसद सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन से संबंधित संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर अनुमति देते हुए यह भी निर्णय लिया कि मंत्रियों को दिए गए वेतन और भत्तों में 30 परसेंट की कमी कर दी जाए। चूंकि उस समय संसद सत्र नहीं चल रहा था और कानून बनाना अत्यंत आवश्यक था, इसलिए दिनांक 9.4.2020 को संविधान के अनुच्छेद 123, खंड (i) के अंतर्गत मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित एक Ordinance तत्काल promulgate किया गया। इस अध्यादेश के तहत, मंत्रियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों में दिनांक 1.4.2020 से एक वर्ष की अवधि, यानी मार्च, 2021 तक 30 परसेंट की कटौती की गई है।

उपर्युक्त Ordinance को Act में बदलने के लिए संसद में यह "मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020" लाया गया है। इसके लिए मैं आपके द्वारा सभी माननीय सांसदों से विनम्रपूर्वक आग्रह करता हूँ कि इस बिल को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

The question was proposed.

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। सरकार कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मंत्रियों और सांसदों के वेतन कटौती का जो बिल लायी है, उसका मैं समर्थन करता हूं। देश हित में और आम जनता के हित में जो भी...

SHRI BHUPENDER YADAV: Rajeev ji, I am not interrupting you. Sir, there is Rule 266 regarding Residuary Powers to the Chair. महोदय, अभी तक सदन में दो बिल यदि same

[Shri Bhupendr Yadav]

मिनिस्ट्री के होते हैं तो हम लोग उन्हें साथ लेते हैं। यहां पर दो ऑर्डिनेंस ऐसे हैं, जिनका subject-matter same है, एक मंत्रियों की तनख्वाह के संबंध में है और दूसरा सांसदों की तनख्वाह के संबंध में है। बोलने वाले मेम्बर्स का विषय हो सकता है, लेकिन एक साथ भी विषय रखा जा सकता है। महोदय, आपके पास रूल 266 में पावर है कि जहां पर आप नियमों को शिथिल करके अनुमति दे सकते हैं। अगर सदन यह चाहे तो दोनों बिलों पर हम एक साथ चर्चा करें, एक साथ विषय रखें और हम यह कर सकते हैं।

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): दोनों विषय पर एक साथ चर्चा कर लें।

श्री भूपेन्द्र यादव: सर, सदन की सहमति है कि दोनों की एक साथ चर्चा कर सकते हैं।

श्री जयराम रमेश: सर, हमने यह तय किया था कि दोनों ऑर्डिनेंस एक साथ लिए जाएंगे।

श्री उपसभापति: चूंकि दोनों के मंत्रालय अलग-अलग हैं, एक का पार्लियामेंटरी अफेयर्स है और एक का होम अफेयर्स है, लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम सब इनको एक साथ ले सकते हैं।

श्री जयराम रमेश: सर, दोनों एक साथ ले सकते हैं।

श्री उपसभापति: ठीक है।

श्री देरेक ओब्राईन (पश्चिम बंगाल): सर, भूपेन्द्र जी ने जो सुझाव दिया है, यह अच्छा सुझाव है, क्योंकि यह मंत्री का, जो हम लोग ऑर्डिनेंस डिस्कस कर रहे हैं, वह एक हज़ार रुपये की बात है। Only for ₹ 1,000/-, we are making such big deal about it. From 3,000 or something, it is coming down to 2,000. Of course, we can discuss the two Bills together because the Salary Bill is only coming to ₹ 64 crores. Yes. We should actually discuss it only in half-an-hour.

AN HON. MEMBER: Sir, I think, we can save a lot of time.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING; AND THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, everybody is supporting it.

श्री जयराम रमेश: सर, इसमें confusion क्या है? कया दोनों को हम एक साथ नहीं कर सकते हैं?

श्री उपसभापति: माननीय सदस्गण, अगर सदन सहमत है, आप सबकी सहमति है तो दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं। माननीय राजीव सातव जी, मैं इस अमेंडमेंट बिल को भी introduce करा दूं, फिर आप बोलिएगा।

Let us also take up The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020; Shri Pralhad Joshi to move a Motion for consideration of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; THE MINISTER OF COAL; AND THE MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, with your permission, I move:

> "That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री उपसभापति: अब इन दोनों बिलों पर सारे सांसद एक साथ बात करेंगे। माननीय राजीव सातव जी।

श्री राजीव सातव: उपसभापति महोदय, मुझे कितना समय मिला है, क्या मुझे 15 मिनट का समय मिला है?

श्री उपसभापति: आपको 10 मिनट का समय मिला है और आप संक्षेप में बोलें, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब का आग्रह था कि इस पर सारा सदन एकमत हो।

श्री राजीव सातव: सर, मैं 9 मिनट 55 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूंगा। महोदय, यह जो बिल इस सदन में लाया गया है, हम इस बिल का समर्थन करते हैं। जनता के हित में जो-जो बातें इस सरकार ने लाने की कोशिश की, हमने और कांग्रेस पार्टी ने इसका हर वक्त समर्थन किया है। कोरोना की इस जंग में हम 50 लाख के पार हुए हैं और 80 हज़ार से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, मैं उन सभी लोगों को यहां श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो कोरोना के हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनको सलाम करता हूं। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, एलाइड सर्विसेज़ हैं, पुलिस है, इन सबको हम सैल्यूट करते हैं और हमारा इससे भी आगे यह आग्रह रहेगा। आपने 30 प्रतिशत कटौती की बात की है। अगर आप इसमें और ज्यादा कटौती की बात करते हैं, अगर आप एक साल या दो साल के लिए एक रुपया लेकर काम करने का प्लान तैयार करते हैं, अगर आप सरकार और मंत्रियों के लिए इस प्रकार का बिल लाएंगे, तो हम निश्चित रूप उसका समर्थन करेंगे। आज हम जिस ढंग से करोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप हमारी सैलेरी तो पूरी तरह से कट कर दीजिए, लेकिन सांसद को अपने क्षेत्र में जाकर काम करने का अगर कोई अधिकार है, तो वह सांसद निधि से काम करने का अधिकार है। सरकार ने यहां पर MPLADS कट करने की बात भी की है, तो जो हमारे पास आम जनता के कल्याण के लिए, आम जनता के दुख व पीड़ा के लिए धन है, आप उसको बंद करने जा रहे हैं। आप करोड़ों लोगों की उम्मीद को छीनने की दिशा में जा रहे हैं। इस MPLADS रोकने के पीछे आपकी

[श्री राजीव सातव]

मंशा और तरीका सही नहीं है। जब MPLADS introduce हुआ था, तब सदन में चर्चा हुई थी। अब आप हम से MPLADS लेना चाह रहे हैं, जबकि आपने कभी इसकी चर्चा नहीं की है। आपकी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, वह असफलता, mismanagement का जीता-जागता उदाहरण रहा

उपसभापति महोदय, जब 2014 में इनकी सरकार आई, तब GDP 7.41 per cent थी। आपने 16-16 घंटे काम किया, आपने 18-18 घंटे काम किया और GDP - 23.9 per cent पर लेकर आए। आपको धन्यवाद है, आपने 24 घंटे काम नहीं किया, नहीं तो GDP - 50 per cent पर चली जाती। उपसभापति महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आपका असफलता का नमूना नोटबंदी भी थी, जिसमें हजारों, लाखों लोग लाइन में लगे और उनके हाथ में कुछ नहीं आया। बैंकों में 99 प्रतिशत से ज्यादा रकम आई, गरीब परेशान हो गए। उनको 15 लाख रुपए तो नहीं मिले, लेकिन केसेज़ तो हम सबके सामने आए हैं। आप GST को भी देखिए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी और सभी उद्योग-धंधे चौपट हो गए। आपने बिना तैयारी के lockdown किया। आपने lockdown करते समय कभी मुख्य मंत्रियों से बात नहीं की, कभी मुख्य मंत्रियों के साथ चर्चा नहीं हुई कि कैसे lockdown करना है। आपने तो कहा था कि यह कोरोना की जंग 21 दिनों में जीतेंगे। आप देश को 21 दिन में कोरोनामुक्त तो नहीं कर पाए, लेकिन यह देश रोज़गारमुक्त हो गया। देश में पूरी तरह से लोगों के धन्धे बंद हो गए और लोग परेशानी में आ गए। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आपने जो वेतन कटौती का फैसला किया है, तो उसमें आपने कोरोना योद्धाओं की वेतन कटौती का भी फैसला किया। आप एक तरफ तो उनके लिए थाली, ताली बजा रहे हो और दूसरी तरफ कोरोना योद्धाओं की वेतन कटौती कर रहे हो, यह पूरी तरह से गलत है। आपने जो PM CARES FUND बनाया है, यह fund किसकी care कर रहा है? यह बात पूरा देश नहीं समझ पा रहा है। देश ने उसमें एक-एक रुपया दिया है, लेकिन कितना पैसा आया? आज जो आपका PM CARES FUND है, उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। हमारे MPLADS के एक-एक रुपए का हिसाब, कहां खर्च हुआ और कैसे खर्च हुआ, सब वेबसाइट पर available है। जो आपका MPLADS लेने का प्लान है, वह पूरी तरह से गलत है, इसलिए सरकार को इस पर फिर से सोचने की जरूरत है। आपकी असफलताओं के कारनामे इतने ज्यादा हैं कि मैं उनको क्या गिनाऊं। लोग कहते हैं-

"न पूछ शिकायतें कितनी हैं तुझ से,
सिर्फ ये बता कि कोई और सितम तो बाकी नहीं। "

क्योंकि रात के आठ बजे, ऐसा होता है कि कहीं कुछ और तो नया नहीं आने वाला है? इसीलिए मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि कल लोक सभा की डिबेट में सभी पार्टीज़ के MPs ने यह बात कही कि MPLADS फिर से restore होना चाहिए। यह पांच करोड़ से अधिक बढ़ना चाहिए और इस पर पिछली बार भी चर्चा हुई थी। मेरी यह विनती है कि आपको 25 करोड़ का MPLADS देना चाहिए। यह सरकार क्या कर रही थी, जब 12 फरवरी को राहुल गांधी

ने ट्वीट करके कहा था कि आप कोरोना से लड़ने का प्लान बनाओ, तो सरकार लिट्टी-चोखा खाने में मस्त थी, मनोरंजन करने में मस्त थी। अगर देश में इलेक्शन खत्म हो जाए, तो हम विदेश के इलेक्शन में 'नमस्ते ट्रम्प' के लिए भी लग जाते हैं। हमारी यह approach रही है और इसीलिए जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, तब यहां पर 'नमस्ते ट्रम्प' का end हो रहा था। आपका उस वक्त भी मध्य प्रदेश सरकार गिराने का एजेंडा था। मैं इसीलिए यहां पर आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जिसको आपने असफलता का स्मारक कहा था, वही मनरेगा भी काम के लिए आया है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा,

"तारीख़ की आंखों ने वह हाल भी देखा है,
लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। "

इसलिए आप गलत फैसले मत लीजिए। इससे देश का बहुत नुकसान होने वाला है। यदि खर्च में कटौती करनी है, तो कटौती करने का प्लान जरूर बनाइए। क्यों आज ही सैंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट करने की दिशा में आपका प्लान है? क्यों अभी आपका 20 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का एजेंडा है? आप क्यों हमारे एमपीलैड का सात हज़ार-आठ हज़ार करोड़ लेना चाह रहे हो, लेकिन बीस हज़ार करोड़ की सैंट्रल विस्टा बनाने का आपका एजेंडा है। आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग पुरानी हो गई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि डच की संसद भवन की बिल्डिंग तेरहवी शताब्दी की है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। इटली का संसद भवन सोलहवी शताब्दी का है, फिर भी वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, फ्रांस की संसद भवन की बिल्डिंग सत्रहवी शताब्दी की है, लेकिन वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, हमारे जो दोस्त ट्रम्प साहब हैं, उनके यहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग 1800 की है, वहां पर आज भी पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है। ब्रिटेन की 1840 की है, वहां पर आज भी सेशन हो रहा है, हमारी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। अगर हम चार-पांच साल के बाद इस पर सोचेंगे, तो क्या दिक्कत है? मंत्रियों के लिए अभी नए ऑफिस की क्या जरूरत है? हम पहले कोरोना से लड़ें। सांसदों के लिए अभी नए ऑफिस की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से संघर्ष का हमारा एजेंडा होना चाहिए। क्या हमारे मंत्रियों और सांसदों के नए आवास हमारे लिए जरूरी हैं? हमारे यहां कोरोना से लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है और आप यहां पर ऐसे खर्चा करना चाह रहे हो, यह पूरी तरह से गलत है।

उपसभापति महोदय, इस बजट में भी आपने बुलेट ट्रेन के लिए पैसे रखे। आप एक लाख करोड़ रुपये बुलेट ट्रेन के लिए खर्च कर रहे हो। आपने इस बजट में भी बुलेट ट्रेन के लिए 6 हज़ार करोड़ रुपये के आस-पास का प्रावधान रखा। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना से लड़ाई हमारी प्राथमिकता होगी या बुलेट ट्रेन लाना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकता कोरोना से लड़ने की होनी चाहिए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस प्रकार से ये फिजूलखर्चे आपकी तरफ से हो रहे हैं कि अभी भी प्रधान मंत्री जी के एयरक्राफ्ट पर आप 810 करोड़ रुपये खर्च करने की दिशा में प्लान बना रहे हो, यह हम किसलिए कर रहे हैं?

[श्री राजीव सातव]

उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि सैंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट आप कीजिए, लेकिन कोरोना की जंग खत्म होने के बाद कीजिए। कोरोना की जंग के बाद अच्छा सैंट्रल विस्टा बनाइए, लेकिन तब तक ये बीस हज़ार करोड़ रुपये आपको पूरी तरह से कोरोना की लड़ाई में लगाने चाहिए। आप यह जो बिल लाए हैं, तो हम सब लोग इसका तो समर्थन करते हैं, लेकिन समर्थन करते वक्त आपसे यह आग्रह है कि आने वाले समय में सरकारी खर्चे में कटौती, यह एजेंडा हम कब बनाने वाले हैं? सांसदों का सांसद निधि कट करना यह आपका एजेंडा है, क्योंकि सांसद तो बिना अधिकार के रहें, लेकिन आप आपके अधिकार में कोई कटौती नहीं करेंगे। आप आपके खर्चों में कटौती नहीं करेंगे, तो यह नहीं चलेगा। जब हम 1993 में यह बिल लाए थे, तो इस प्रकार से प्रोविज़न किया था, तो संसद के दोनों सदनों से बात की थी, इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि जब आप एमपीलैड कट करने की दिशा में जाते हो, तो क्या आपने हाउस के बाकी नेताओं से बात की, बाकी पार्टीज़ के नेताओं से बात की? नहीं की है और इससे यह संसद के सदस्य के अधिकार के ऊपर आक्रमण है।

उपसभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से यहां पर आखिरी दो बातें रखना चाहूंगा कि मंत्रियों के सुख-सुविधा, उनके भत्तों में कटौती कीजिए, एमपीज़ के भी सभी सुख-सुविधा और भत्तों में कटौती कीजिए। एक रुपया हम अगले दो साल, तीन साल के लिए लेने का प्लान बनाएं, लेकिन मैं यहां दो बातें रखना चाहूंगा कि:-

"बुलंद वादों और जुमलों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे।
हमें हमारी जमीं दे दो, आसमां लेकर हम क्या करेंगे?"

इतना ही कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन एमपीलैड रिस्टोर करें। 25 करोड़ का निधि एमपीलैड में दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) The Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Bill, 2020

(II) The Farmers' Produce Trade And Commerce (Promotion And Facilitation) Bill, 2020

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Farmers